प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता

आपराधिक अपील सं. 1920 वर्ष 2019
वि. अ. या. (आपराधिक) सं.10707 वर्ष 2019 से उद्भूत

कंवर पाल सिंह

...अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

....प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना

अनुमति प्रदान की गयी।

2. अपीलार्थी कंवर पाल सिंह ने 22 जुलाई 2019 दिनांकित आदेश को आक्षेपित किया है जिसके तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 482 के तहत याचिका को, मुकदमा अपराध सं. 289 वर्ष 2018, थाना विंध्याचल, जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से उद्भूत भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 379, उत्तर प्रदेश लघु खनिज (रियायत) नियम, 1963 के नियम 3, 57 और 7, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 ('संक्षेप में खान विनियमन अधिनियम) की धारा 4 और 21 और सार्वजनिक संपत्ति को क्षति का निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3 और 4 के तहत

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

आपराधिक अभियोजन को रद्द करने के लिए खारिज कर दिया है। अपीलार्थी ने, उच्च न्यायालय के समक्ष बिना किसी सफलता के, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित, संज्ञान लेने वाले और विचारण के लिए तलब करने वाले 8 फरवरी 2019 दिनांकित आदेश को भी चुनौती दी थी।

3. संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि श्री एस.के. पाल, सर्वेयर, खान विभाग, जिला मिर्जापुर, द्वारा किये गये परिवाद के आधार पर थाना विंध्याचल में 15 नवंबर 2018 दिनांकित एफआईआर संख्या 0289 दर्ज किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ यह अभिलिखित था कि 2 नवंबर 2018 को ग्राम नंदनी, तहसील सदर, जिला मिर्जापुर में खनन स्थल के निरीक्षण के दौरान नायब तहसीलदार ने अवैध खनन पाया था जिस पर 12 नवंबर 2018 दिनांकित पत्र के माध्यम से एक रिपोर्ट उप–जिलाधिकारी, सदर को सौंपी गयी। अपीलार्थी मैसर्स कंवर इंटरप्राइजेज प्रा. लिमिटेड के निदेशक हैं जिसे ग्राम नंदनी में 12.35 एकड़ के प्लॉट नंबर 2/4, और 12.35 एकड़ के प्लॉट नंबर 2/5 पर खनन पट्टे के माध्यम से रेत उत्खनन का अधिकार दिया गया था। हालांकि, यह आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी अनुज्ञेय क्षेत्र के बाहर ग्राम बभनी में 534/2 के रूप में अंकित क्षेत्र में रेत खनन कर रहा था, जहां उसने अवैध रूप से 50 फीट लंबा, 50 फीट चौड़ा और 2 मीटर गहरा गड्ढा खोद रखा था। परिणामस्वरूप, जिलाधिकारी ने उक्त प्रावधानों के तहत तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे.

4. हालांकि उच्च न्यायालय के समक्ष कई तर्क दिए गए थे, लेकिन अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमारे समक्ष बहस के दौरान अपने तर्क को खान विनियमन अधिनियम की धारा 22 के उल्लंघन और उसके विधिी प्रभाव तक सीमित रखा है। प्राथमिकी की विषयवस्तु का हवाला देते हुए, यह कहा गया है कि अपीलार्थी को अपराधों के लिए पुलिस द्वारा गलत तरीके से चार्जशीट किया गया है, क्योंकि अधिक से अधिक धारा 4 का उल्लंघन हुआ था, जो कि खान विनियमन अधिनियम की धारा 21 के तहत दंडनीय

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

है। यह बात रेखांकित की गयी है कि मे. कंवर इंटरप्राइजेज प्रा. लिमिटेड के पास खनन के लिए वैध पट्टा था। धारा 22 के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित शिकायत के बिना कोई भी न्यायालय खान विनियमन अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकती है। राज्य पुलिस अधिकृत न होने के कारण, आरोप पत्र/परिवाद दायर नहीं कर सकती थी। इस न्यायालय द्वारा **जीवन कुमार राउत और अन्य बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो**[1] के मामले का अवलंब लेते हुए खान नियमन अधिनियम की धारा 22 पर आधारित तर्क दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा दायर लिखित कथन में, **बेलसुंड शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य**[2], **शरत बाबू दिगुमर्ती बनाम एनसीटी दिल्ली**[3] और **सुरेश नंदा बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो**[4] के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लेते हुए एक अपेक्षाकृत नई दलील दी गयी है कि खान विनियमन अधिनियम एक विशेष विधान होने के कारण, आईपीसी की धारा 379 के तहत अपराध के लिए अभियोजन पोषणीय नहीं होगा। यह कहा गया है कि **राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) बनाम संजय**[5] के मामले में इस न्यायालय का निर्णय अलग है क्योंकि **संजय (उपरोक्त)** के मामले में अवैध रेत खनन के विरुद्ध अपराध के लिए प्राथमिकी खनन अधिकार स्थापित करने के लिए कोई दस्तावेज न दिये जा सकने के कारण स्वतः दर्ज की गयी थी और इसलिए, उस मामले में अनुपात अवैध खनन के केवल उन मामलों पर लागू होगा जहां खनन पट्टा पहले ही रद्द कर दिया गया था या कोई मौजूदा खनन पट्टा नहीं था।

5. हम अपीलकर्ता के कथन को अपोषणीय पाते हैं। **संजय (उपरोक्त)** के मामले में, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय और झारखंड उच्च न्यायालय के इस विषय पर परस्पर विरोधी निर्णयों के विरुद्ध की गयी अपील का अभिनिर्धारण

---

1 (2009) 7 SCC 526
2 (1999) 9 SCC 620
3 (2017) 2 SCC 18
4 (2008) 3 SCC 674
5 (2014) 9 SCC 772

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

किया था कि क्या खान विनियमन अधिनियम की धारा 22 के मद्देनजर अवैध खनन के आरोपों पर कोई व्यक्ति आईपीसी की धारा 379/114 और अन्य प्रावधानों के तहत अपराध के लिए अभियोजित किया जा सकता है। खान विनियमन अधिनियम की धारा 22 निम्नवत है :

> "22. अपराधों का संज्ञान– केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित शिकायत के बिना कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के अन्तर्गत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी।"

संहिता के प्रावधानों, अर्थात् धारा 2 (ग), 2 (घ) और 2 (ज) जो क्रमशः 'संज्ञेय अपराध', 'परिवाद' और 'जांच' को परिभाषित करते हैं, का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने संहिता की धारा 4 को सन्दर्भित किया है जो निम्नानुसार है:

> **"4. भारतीय दण्ड संहिता और अन्य विधियों के अन्तर्गत अपराधों का विचारण–** (1) भारतीय दंड संहिता (45 वर्ष 1860) के तहत सभी अपराधों की जांच, पड़ताल, विचारण, और अन्यथा एतश्मिनपश्चात निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
>
> (2) किसी अन्य विधि के अधीन सभी अपराधों की जांच, पड़ताल, विचारण और अन्यथा ऐसे अपराधों से संबंधित जांच, पड़ताल, विचारण या अन्यथा के तरीके या स्थान को विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन इन्हीं प्रावधानों के तहत किया जाएगा।"

धारा 4 की उप–धारा (2) के अनुसार, आईपीसी के अलावा किसी विधि के अधीन सभी अपराधों की जांच, पड़ताल और विचारण ऐसे अपराध की जांच, पड़ताल और विचारण के तरीके या स्थान को विनियमित करने वाले किसी अधिनियम के अधीन किया जा सकता है। यह धारित किया गया था कि खान नियमन अधिनियम की धारा 21 में निर्दिष्ट अपराध संज्ञेय हैं। यह स्पष्ट करने के लिए संहिता की धारा 41 संदर्भित किया गया था कि संज्ञेय अपराधों के मामले में पुलिस के पास वारंट के बिना गिरफ्तारी करने की शक्ति होती है। संहिता के अध्याय

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

XI की धारा 149 से 152, जिसमें पुलिस से गिरफ्तारी या अन्यथा, आदि द्वारा संज्ञेय अपराधों को रोकने की अपेक्षा होती है, को यह कहने के लिए संदर्भित किया गया कि उपरोक्त प्रावधानों से पता चलता है कि अपने स्वयं के प्राधिकार से एक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह किसी को भी किसी भी सार्वजनिक संपत्ति या राष्ट्रीय परिसंपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयास को रोके और ऐसे व्यक्तियों को विधि के अनुसार अभियोजित करे।

तदनुसार, **संजय (उपरोक्त)** के मामले में यह कहा गया कि अपराधों की जांच पुलिस के अधिकार क्षेत्र में है और संज्ञेय अपराधों की जांच करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति आमतौर पर किसी भी बंधन द्वारा बाधित नहीं होती है, हालांकि शक्ति का प्रयोग वैधानिक प्रावधानों के अनुसार और वैध उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप करेंगे जब मामले की जांच करते समय उन्हें दिखे कि पुलिस अधिकारी ने जांच की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है और अवैध और अनुचित उपयोग से एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और/या संपत्ति को खतरे में डाला है या जब पुलिस द्वारा जाँच को प्रामाणिक न पाया जाए या जब जाँच शत्रुता पूर्ण ढंग से की गयी हो। विषय का परीक्षण करते हुए, **संजय (उपरोक्त)** के मामले में इस न्यायालय ने **एच.एन. रिशबद बनाम दिल्ली राज्य**[6] के निर्णय पर ध्यान दिया, जिसमें इस न्यायालय ने धारित किया था कि जांच में दोष या अवैधता, चाहे जितनी गंभीर हो, उसका संज्ञान लेने की क्षमता या विचारण से संबंधित प्रक्रिया पर सीधा प्रभाव नहीं होता। **प्रवर्तन निदेशालय बनाम दीपक महाजन**[7] के मामले में, इस न्यायालय द्वारा उल्लिखित विधि का मुख्य सिद्धांत यह है कि प्रत्येक विधि न्याय के लिए बनाया गया होता है और केवल तकनीकी आधार पर उसे बाधित नहीं किया जाना चाहिए। इस सिद्धान्त को रेखांकित करने के लिए सार्वजनिक न्यास सिद्धांत का हवाला दिया गया कि कुछ संसाधन जैसे हवा, समुद्र, पानी, जंगल और खनिज समग्र मानव समुदाय के लिए

---

6 AIR 1955 SC 196
7 (1994) 3 SCC 440

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

बहुत महत्व रखते हैं और सरकार को सार्वजनिक हित के लिए ऐसे संसाधनों को न्यास में रखने और उनके हित के लिए प्रयोग का आदेश दिया गया है न कि निजी हितों के लिए।

6. **संजय (उपरोक्त)** के मामले में इस न्यायालय ने कई निर्णयों का हवाला दिया है जिसमें अभियोजन को दी गयी चुनौती, कि विभिन्न अधिनियमों के तहत अपराधों की बहुलता नहीं हो सकती है, का उत्तर और समाधान साधारण खंड अधिनियम की धारा 26 का अवलंब लेते हुए किया गया था जिसे हम सुविधा के लिए पुनर्प्रस्तुत करना चाहेंगे :

> **"26. दो या अधिक अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों के संबंध में प्रावधान–**जहां कोई कार्य या विलोप दो या दो से अधिक अधिनियमों के तहत अपराध का गठन करता है, तो अपराधी पर दोनों या उनमें से किसी अधिनियम के तहत अभियोजित और दण्डित किया जा सकता है, लेकिन एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।"

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 26 'विभिन्न अपराधों' के लिए अभियोजन की अनुमति देती है, लेकिन 'एक ही अपराध' के लिए दो या दो से अधिक अधिनियमों के तहत दो बार अभियोजन और सजा पर रोक लगाती है। 'समान अपराध' पद की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में की गई है, जैसे, समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के संदर्भ में **मकबूल हुसैन बनाम बॉम्बे राज्य**[8]; आईपीसी की धारा 409 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 (2) के संदर्भ में **ओम प्रकाश गुप्ता बनाम यूपी राज्य**[9] और **मध्य प्रदेश राज्य बनाम वीरेश्वर राव अग्निहोत्री**[10]; आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 52 और आईपीसी की धारा 177 के संदर्भ में **टी.एस. बलिया बनाम**

8 AIR 1953 SC 325
9 AIR 1957 SC 458
10 AIR 1957 SC 592

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

आईटीओ[11]; सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के संदर्भ में **कलेक्टर बनाम वसंतराज भगवानजी भाटिया**[12]; आईपीसी की धारा 447, 429 और 379 के प्रावधानों और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के संदर्भ में **बिहार राज्य बनाम मुराद अली खान**[13]; विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 39 और आईपीसी के तहत चोरी के प्रावधानों के संदर्भ में **अवतार सिंह बनाम पंजाब राज्य**[14] ; और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और आईपीसी की धारा 419, 468, 471 और 472 के तहत अपराध के संदर्भ में **इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंट्स ऑफ इंडिया बनाम बनाम विमल कुमार सुराना**[15]। धारा 4 सपठित खान विनियमन अधिनियम की धारा 21 और 22 के प्रावधानों और आईपीसी की धारा 379 के तहत अपराध को स्पष्ट करते हुए, **संजय (उपरोक्त)** के मामले में निम्नवत धारित किया गया :

> "69. निर्वचन के सिद्धांतों और धारा 22 में प्रयुक्त शब्दों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में, नदी के किनारे से रेत सहित खनिजों की अवैध निकासी पर पुलिस द्वारा कार्रवाई पर प्रावधान एक पूर्ण और निरपेक्ष रोक नहीं है। न्यायालय इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेगा कि भारत में वर्षों से नदियाँ अप्रतिबंधित रेत खनन की खतरनाक दर से प्रभावित हुई हैं जो नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र और पुलों की सुरक्षा को नुकसान पहुँचा रहा है। यह नदी के तल, मछली प्रजनन को भी कमजोर करता है और कई जीवों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देता है। यदि इन अवैध गतिविधियों को राज्य और राज्य के पुलिस अधिकारियों द्वारा नहीं रोका गया, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। यह न केवल नदी जल क्रियाशीलता को बदलेगा बल्कि भूजल स्तर को भी कम करेगा।
>
> 70. एमएमडीआर अधिनियम के तहत लगाए गए प्रतिबंधों और उसमें दिए गए उपायों के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है। किसी भी मामले में, जहां किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 4 और अन्य धाराओं के

---

11 AIR 1969 SC 701
12 (1988) 3 SCC 467
13 (1988) 4 SCC 655
14 AIR 1965 SC 666
15 (2011) 1 SCC 534

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

प्रावधानों के उल्लंघन में खनन गतिविधि होती है, अधिनियम के तहत सक्षम और अधिकृत अधिकारी क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत करने सहित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। यह भी विवादित नहीं है कि ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट विधिवत अधिकृत अधिकारी द्वारा उसके समक्ष दायर की गई शिकायत के आधार पर संज्ञान लेगा। अधिनियम की धारा 4 और अन्य प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में, पुलिस अधिकारी उक्त अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर अधिनियम के तहत संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट पर जोर नहीं दे सकता है। दूसरे शब्दों में, अधिकृत अधिकारी की शिकायत के अलावा अधिनियम की धारा 22 में निहित किसी व्यक्ति के अभियोजन का निषेध तभी लागू होता है जब ऐसे व्यक्ति पर अधिनियम की धारा 4 के उल्लंघन के अभियोजन का मामला हो, न कि किसी ऐसे कार्य या चूक के लिए जो दंड संहिता के तहत अपराध का गठन करता है।

71. हालांकि, ऐसी स्थिति भी हो सकती है जहां कोई व्यक्ति बिना किसी पट्टे या लाइसेंस या किसी प्राधिकार के नदी में प्रवेश करता है और रेत, बजरी और अन्य खनिजों को निकालता है और उन खनिजों को बेईमानी से राज्य से चुरा कर हटा देता है या परिवहन करता है, ऐसा व्यक्ति दंड संहिता की धारा 378 और 379 के तहत ऐसा अपराध करना के लिए दण्ड का भागी है।

72. एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों और आईपीसी की धारा 378 के तहत परिभाषित अपराध को ध्यान से पढ़ने पर, यह प्रकट होता है कि अपराध का गठन करने वाले तत्व अलग हैं। खनन पट्टे के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन या अधिनियम की धारा 4 के उल्लंघन में खनन गतिविधि करना एमएमडीआर अधिनियम की धारा 21 के तहत दंडनीय अपराध है, जबकि नदी से रेत, बजरी और अन्य खनिजों को बेईमानी से हटाना, जो कि राज्य की संपत्ति है राज्य के कब्जे से बिना उसकी सहमति के लेना चोरी का अपराध गठित करता है। इसलिए, शिकायत के आधार पर एमएमडीआर अधिनियम के तहत अपराध गठित करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ करना पुलिस को ऊपर वर्णित तरीके से रेत और खनिजों की चोरी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देने से नहीं रोकेगा/रोक सकता । दूसरे शब्दों में, ऐसे मामले में जहां सरकारी जमीन से रेत और बजरी की चोरी होती है, पुलिस मामला दर्ज कर सकती है, उसकी जांच कर सकती है और सीआरपीसी की धारा 173 के तहत क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(घ) के प्रावधान के अनुसार संज्ञान लेने के लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है।"

(प्रभाव वर्धित)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

7. जैसा कि ऊपर देखा गया है, लिखित कथन में अपीलकर्ता ने **बेलसुंड शुगर कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त)**, **शरत बाबू दिगुमर्ती (उपरोक्त)** और **सुरेश नंदा (उपरोक्त)** के मामलों का यह तर्क देने के लिए अवलंब लिया है कि जहां एक विशेष विषय से संबंधित एक विशेष अधिनियम है,वहां एक सामान्य अधिनियम का सहारा नहीं लिया जा सकता है। संजय (उपरोक्त) के मामले में अनुपात के दृष्टिगत उक्त कथन में कोई बल नहीं है जो विशेष रूप से सामान्य खंड अधिनियम की धारा 26 को संदर्भित करता है और कहता है कि खान विनियमन अधिनियम की धारा 4 सपठित धारा 21 के तहत अपराध आईपीसी की धारा 379 के तहत दंडनीय अपराध से अलग है। . इस प्रकार, वे दो 'भिन्न' हैं और 'समान अपराध' नहीं हैं। यहां यह बताना प्रासंगिक होगा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने **संजय बनाम राज्य**[16] के अपने फैसले में जिसे **संजय (उपरोक्त)** में आक्षेपित किया गया था, एक समरूप तर्क को स्वीकार किया था कि एक बार अपराध का खान विनियमन अधिनियम की धारा 21 के तहत दंडनीय होने पर वह अपराध आईपीसी की धारा 379 के तहत अपराध दंडनीय नहीं होगा। इस तर्कप्रणाली को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था और दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को उलट दिया गया था। इसलिए हमारे सामने उसी तर्कप्रणाली पर आधारित तर्क को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

8. हम अपीलकर्ता द्वारा लिखित कथन में दिये गये इस तर्क को भी खारिज करते हैं कि रेत की कथित चोरी आईपीसी की धारा 379 सपठित धारा 378 के तहत दंडनीय नहीं है क्योंकि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (26) के अनुसार रेत एक अचल संपत्ति है। वर्तमान मामले में, रेत की

---

16 (2009) 109 DRJ 594

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

खुदाई की गई थी और उसके बाद वह एक अचल संपत्ति नहीं रह गई थी। खुदाई होने पर रेत पृथ्वी से अपना जुड़ाव खो देगी, अतः, यह एक चल संपत्ति या चोरी किये जा सकने वाली है। {भारतीय दंड संहिता की धारा 378 का स्पष्टीकरण 1 और ऊपर उद्धृत **संजय** (उपरोक्त) देखें}

9. हम अंत में **जीवन कुमार राउत (उपरोक्त)** के निर्णय का उल्लेख करेंगे जिस पर सुनवाई के समय अपीलकर्ता द्वारा काफी भरोसा किया गया था। उक्त निर्णय को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंट्स (उपरोक्त) में यह देखते हुए रेखांकित किया गया था कि मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (संक्षेप में 'तोहो अधिनियम') के प्रावधान अलग थे और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम की उप–धारा 2 से धारा 24–ए, 25 और 26 के समान नहीं थे। हम आगे और स्पष्ट करना चाहते हैं कि **जीवन कुमार राउत (उपरोक्त)** में यह न्यायालय संहिता की उप–धारा (2) से धारा 167 के संदर्भ में इस आधार पर अपीलकर्ता के वैधानिक जमानत का दावा करने के अधिकार की जांच कर रहा था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (संक्षेप में 'सीबीआई') गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिनों के भीतर आरोप–पत्र दाखिल करने में विफल रहा था। टीओएचओ अधिनियम की धारा 22 का अवलंब लेते हुए, जो एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज करने को अनिवार्य करता है, यह कहा गया कि टीओएचओ अधिनियम एक विशेष विधि है जो उसमें उल्लिखित विषयों से संबंधित है , जैसे मानव अंगों को हटाना, आदि से संबंधित अपराध। आमतौर पर, कोई भी व्यक्ति आपराधिक कानून का सहारा ले सकता है लेकिन विधायिका ने विषय की संवेदनशीलता और महत्व को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान किया गया था कि टीओएचओ अधिनियम के तहत उल्लंघनों को उसमें निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा ही देखा जाएगा। इसके बाद, उपरोक्त के अनुसार यह कहने के लिए संहिता

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

की धारा 4 का संदर्भ दिया गया कि टीओएचओ अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, इसके तहत आने वाले अपराधों से संबंधित मामले उक्त अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे, जो कि संहिता के प्रावधानों पर अधिभावी होगा। टीओएचओ अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (3) के खंड (iv) का संदर्भ दिया गया था जिसमें कहा गया है कि उपयुक्त प्राधिकारी उक्त अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के उल्लंघन की किसी भी शिकायत की जांच करेगा और उचित कार्रवाई करेगा। खान विनियमन अधिनियम यानी खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

10. **जीवन कुमार राउत (उपरोक्त)** के मामले में, यह नोट किया गया था कि सीबीआई को टीओएचओ अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक उपयुक्त प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है और इसलिए जांच करने का हकदार है। इस संदर्भ में, यह देखा गया कि टीओएचओ अधिनियम की धारा 22 एक उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा की गई शिकायत को छोड़कर संज्ञान लेने पर रोक लगाती है और इसलिए सीबीआई द्वारा दर्ज की गई पुलिस रिपोर्ट एक उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा ही टीओएचओ अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत की गई परिवाद याचिका थी। परिणामस्वरूप, संहिता की धारा 167 की उप–धारा (2) लागू नहीं होगी क्योंकि सीबीआई संहिता की धारा 173 की उप–धारा (2) के अनुसार पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकती थी। इस प्रकार, **जीवन कुमार राउत (उपरोक्त)** के मामले में एक अलग तर्क और विषय पर विचार किया जा रहा था। जो वर्तमान मामले में उठाए गए विषयों से पूरी तरह से अलग है। यह निर्विवाद है कि प्रत्येक मामले की तथ्यात्मक परिस्थितियों और मुद्दों से हटकर न्यायालयों के फैसलों को आँख बंद करके

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

लागू नहीं किया जा सकता है। न्यायालय के फैसले प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के लिए लागू होने वाले विधि पर आधारित होते हैं और इसलिए अन्य मामले की अपनी विशिष्टताओं के चलते यह आवश्यक नहीं कि वह उन पर भी लागू हो। इसलिए, **जीवन कुमार राउत (उपरोक्त)** के मामले में अनुपात पर आधारित तर्क में कोई मेरिट नहीं है।

11. हम पुनः **संजय (उपरोक्त)** के मामले में दिये गये निर्णय का उल्लेख करेंगे जिसने **सीमा सरकार बनाम राज्य**[17] के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया था, जिसमें उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को अवैध और गैर विधिी माना था क्योंकि मजिस्ट्रेट ने खान विनियमन अधिनियम की धारा 21 (2) और आईपीसी की धारा 379 के तहत यह धारित करते हुए पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर संज्ञान लिया था कि संज्ञान ऐसा था जिसे विभाजित या बाँटा नहीं जा सकता है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा था कि चूंकि परिवाद खान विनियमन अधिनियम की धारा 22 के तहत नहीं की गई थी, इसलिए संज्ञान अनुचित और विधि विरुद्ध थी। हमने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को पहले ही नोट किया है जिसने निर्देश दिया था कि प्राथमिकी को आईपीसी की धारा 379 के तहत दर्ज नहीं माना जाना चाहिए बल्कि केवल खान विनियमन अधिनियम की धारा 21 के तहत दर्ज मानना चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के इन निर्णयों को इस न्यायालय ने **संजय (उपरोक्त)** के मामले में सामान्य खंड अधिनियम की धारा 26 और 'समान अपराध' पद के अर्थ के संदर्भ में उलट दिया और अपास्त कर दिया, तथा धारित किया कि खान विनियमन अधिनियम की धारा 21 सपठित धारा 4 और आईपीसी की धारा 379 के तहत अपराध अलग –अलग हैं। उपरोक्त तर्क प्रणाली हमें अपीलकर्ता के इस

17

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

तर्क को अस्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि प्राथमिकी में आक्षेपित कार्रवाई केवल धारा 4 का उल्लंघन है जो कि केवल खान विनियमन अधिनियम की धारा 21 के तहत संज्ञेय अपराध है और न कि किसी अन्य विधि के तहत। आईपीसी की धारा 379 के तहत अपराध का संज्ञान लेने पर न्यायालय पर कोई रोक नहीं है। हम यह भी देखेंगे कि धारा 4 का उल्लंघन एक संज्ञेय अपराध होने के कारण, पुलिस हमेशा इसकी जांच कर सकती थी, खान विनियमन अधिनियम के तहत निर्बंधन के विपरीत टीओएचओ अधिनियम की धारा 13 (3) (iv) के तहत कोई निर्बंधन नहीं है।

12. उपरोक्त बहस को ध्यान में रखते हुए हम, विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आईपीसी की धारा 379 और सार्वजनिक संपत्ति को क्षति का निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराध का संज्ञान और अभियोजन को अपास्त करने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखेंगे। हालांकि, हम स्पष्ट कर दें कि खान विनियमन अधिनियम की धारा 21 सपठित धारा 4 के तहत अभियोजन और संज्ञान प्राधिकार के अभाव में वैध और उचित नहीं होगा। इसके अलावा, हमारे समक्ष विधिी विषयों का विनिश्चय करने और उनका उत्तर देने में हमारी टिप्पणियों को परिवाद में लगाए गए तथ्यात्मक आरोपों पर निष्कर्ष के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। विचारण न्यायालय स्वतंत्र रूप से तथ्यात्मक आरोपों पर विचार करेगा और विधि के अनुसार आरोप तय करेगा। उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में, अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है, क्योंकि हमने आईपीसी की धारा 379 और सार्वजनिक संपत्ति को क्षति का निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराध के अभियोजन और संज्ञान को बरकरार रखा है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

.....

(न्यायमूर्ति एस.अब्दुल नजीर)

.....

(न्यायमूर्ति संजीव खन्ना)

नई दिल्ली

दिसम्बर 18, 2019

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।